न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
82 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.10.2020	12.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सिंहल डिपार्टमेन्टल स्टोर अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 5 माल मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स सिंहल डिपार्टमेन्टल स्टोर अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: दिनांक 12.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.08.2020 को समय 11.49 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स सिंहल डिपार्टमेन्टल स्टोर अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से राकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सिंहल डिपार्टमेन्टल स्टोर अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 5 माल मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड** (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकता श्री राकेश अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म न. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता राकेश अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:12 IST
Reason: SelfAttested

1216

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 350–350 ग्राम के 17 मूल पैकेट **स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड** (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) रखे हुये मे से 4 पैकेट 350–350 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश कुमार अग्रवाल को रू0 180/–अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड** (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) 350–350 ग्राम बॉट मापक मशीन से तुलवाकर नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2557 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2557 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3032 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1138/एक्ट/2020/1209 दिनांक 21.08.2020 अनुसार राकेश कुमार अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड** (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) को एक्स पायरी डेट के बाद भी विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के रेगुलेशन नं02.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का **स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड** (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) का विकय कर खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिरा स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया स्वीट् नीबू अचार रामबंधु ब्राण्ड (Sweet Lime Pickle Ram Bandhu Brand) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सिंहल डिपार्टमेन्टल स्टोर अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 5 माल मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

12-8-21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:12 IST
Reason: SelfAttested

1218

Scanned by CamScanner